विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1935
उत्तर की तिथि	:	03.03.2022
विषय	:	शौंगटोंग–कड़छम परियोजना
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री

	प्रश्न	**उत्तर**
(क)	शौंगटोंग–कड़छम प्रोजेक्ट (एच०ई०पी०) 450 मेगावॉट का कार्य कब शुरू किया गया था व इसको पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया था;	शौंगटोंग–कड़छम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य 26.11.2012 को शुरू किया गया था एवं इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 20.01.2020 तक निर्धारित किया गया था परन्तु परियोजना में विभिन्न बाधाओं के कारण यह तिथि 31.03.2025 तक बढ़ा दी गई है।
(ख)	यह सत्य है कि इस प्रोजैक्ट में मजदूरों व ठेकेदारों को कई महीनो से भुगतान नहीं किया जा रहा है; यदि हाँ, तो कारण;	जी हां, यह सत्य है कि वर्तमान में पिछले तीन माह से मजदूरों का वेतन व उप-ठेकेदार का भुगतान लंबित है, जिसे शीघ्र ही वितरित कर दिया जाएगा। मजदूरों और उप–ठेकेदारों के वेतन के भुगतान में देरी का कारण मुख्य ईपीसी ठेकेदार (Main EPC Contractor) की खराब वित्तीय स्थिति है, जो परियोजना में मासिक धनराशि उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। परियोजना के सिविल और हाइड्रो–मैकनिकल कार्यों (Civil & Hydro Mechanical Works) को ईपीसी मोड (EPC Mode) पर आवंटित किया गया है जहां Milestones की उपलब्धि के बाद

		अनुबंध समझौते के अनुसार भुगतान जारी किया जाता है। ये Milestones 2 से 3 महीने के काम के बाद हासिल किए जाते हैं और उसके तुरन्त बाद भुगतान जारी किया जाता है। परियोजना में जब भी इस तरह के भुगतान के मुद्दे उठे हैं, हि0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लि0 ने प्रमुख नियोक्ता होने के नाते मुद्दों पर उचित संज्ञान लिया है और लंबित मजदूरी और उप-ठेकेदारों के भुगतान के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया है और मुख्य ईपीसी ठेकेदार के अनुरोध पर सीधे भुगतान भी किया है।
(ग)	इस प्रोजैक्ट कि अनुमानित लागत पहले कितनी थी व अब इस प्रोजैक्ट को पूर्ण करने में कितनी लागत आएगी;	इस परियोजना की जुलाई 2011 के मूल्य स्तर पर स्वीकृत लागत ₹ 2807.8 करोड थी अब परियोजना का कार्य ₹ 3330.33 करोड़ की अनुमानित लागत में पूरा होने की उम्मीद है।
(घ)	क्या कारण है कि इस प्रोजैक्ट का कार्य धीमी चाल से चल रहा है;	परियोजना में धीमी प्रगति के कारणों का ब्यौरा **अनुलग्नक–क** पर संलग्न है।
(ड)	यह सत्य है कि एच0पी0पी0सी0एल0 ने शौंगटोंग–कड़छम एच0ई0पी0 में डम्पिंग के लिए पहले ही 120 करोड़ रूपये अतिरिक्त खर्च कर लिए हैं; और	हां यह सत्य है कि शौंगटोंग–कड़छम जल विद्युत परियोजना में डंपिग के लिए अब तक एच0पी0पी0सी0एल0 द्वारा ₹ 121,05,96,779 खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना के 8 चिन्हित डम्पिंग साइटों में से केवल चार डम्पिंग साइटों (जो पोवारी, टांगलिंग तथा रल्ली में स्थित है) में ही मलवा डम्प किया जा सका है। अन्य चिन्हित डम्पिंग साइटों पर निम्न कारणों से मलवा डम्प नहीं किया जा

		सका है:– • नदी का बहाव बदल जाने से व बी0 आर0ओ0 द्वारा एन0एच0 को चौड़ा करने के समय मलवे को डंपिग साइट न01 पर डालने के कारण इसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है, जिस कारण यहां पर डंपिग नहीं की जा सकी है। • भूस्खलन के कारण तकरीबन सभी डंपिग साईटस की क्षमता कम हो गई थी, इस कारण मलवे को अन्य स्थलों पर डाला गया। • भारतीय थल सेना के वर्क्स ऑफ डिफेन्स एक्ट (WODA) के तहत डंपिंग साइट–3 (शौंगटोंग) की अनुमति नहीं थी।
(च)	क्या यह भी सत्य है कि पवारी एन0एच0 के साथ चिन्हित स्थानों पर एच0पी0पी0सी0एल0 डम्पिंग न करवाकर अन्य स्थानों पर भारी भरकम खर्चे पर डम्पिंग करवाने की योजना बना रही है जबकि चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त डम्पिंग की सुविधा उपलब्ध है तथा अब तो सेना से भी कोई आपत्ति नहीं है?	यह सत्य नहीं है पोवारी एच0एच0 के साथ चिन्हित स्थानों में से डंपिग साइट न01 (पोवारी) पर सतलुज नदी का रूख बदल जाने के कारण एवं बी0आर0ओ0 द्वारा एन0एच0 को चौड़ा करने का मलवा डालने के कारण इसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है एवं परियोजना के अन्य डंपिग स्थलों की भूस्खलन से क्षमता समाप्त होने के कारण, परियोजना प्रबंधन को अतिरिक्त डंपिग स्थलों का चयन करना पड़ा जिनमें डंपिंग का कार्य किया जा रहा है। डंपिंग साइट न0 3 (शौंगटोंग) में भारतीय थल सेना के वर्क्स ऑफ डिफेंन्स एक्ट (WODA) के तहत डंपिंग की अनुमति नहीं थी, जब भारतीय थल सेना द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई, तब चिन्हित स्थान पर डंपिंग कार्य आरम्भ किया गया। लेकिन स्थानीय व्यक्ति ने डंपिग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 में

		याचिका दायर कर डंपिग के कार्य को रूकवा दिया। अब दिनांक 05.01.2022 को CWP संख्या 1616/2020 पर माननीय उच्च न्यायालय हि0 प्र0 द्वारा डंपिग की अनुमति प्रदान की गई है। इस निर्णय के बाद डंपिग साइट–3 पर मलवा डालकर एप्रोच सड़क का निर्माण किया जा रहा है इसके पश्चात मलवे को नदी में जाने से रोकने के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जायेगा, तद्पश्चात डंपिग का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

****

अनुलग्नक–क

शौंगटोंग–कड़छम जल विद्युत परियोजना निर्माण में धीमी प्रगति के कारणों का ब्यौराः

1. रक्षा कार्य अधिनियम, 1903 के प्रावधानों के कारण सेना के गोला बारूद डिप्पो के 1200 गज के भीतर परियोजना निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध है। इस कारण परियोजना के लेआउट में बदलाव करना पड़ा जिस से प्रगति प्रभावित हुई। डिपो के नजदीक आने वाले क्षेत्रों में विस्फोट प्रतिबंधित है और खुदाई केवल मशीनों से करनी पड़ती है जिस से कार्य की गति धीमी रही।
2. सेना के प्रतिबंधों के कारण परियोजना क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट डम्पिंग साइटों की अनुपलब्धता और परियोजना क्षेत्र के भीतर डम्पिंग के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किए हैं।
3. के0एफ0डब्लयू ने बैराज क्षेत्र के दाहिने किनारे की पहाड़ी की स्थिरता के बारे में अतिरिक्त अध्ययन के लिए जांच करवाई, इस जांच में काफी समय लगा। इस जांच के कारण बैराज कार्यों की मूल संकल्पना डिजाइन में परिवर्तन करना पड़ रहा है।
4. ई.पी.सी. ठेकेदार की खराब वित्तीय स्थिति।
5. वर्ष 2013 में कार्य प्रारम्भ होने से लेकर वर्ष 2017 के मध्य तक स्थानीय लोग स्थानीय विकास कार्यों से सम्बन्धित मांगों को लेकर परियोजना कार्य को रोकते रहे।
6. माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुरूप स्टोन क्रशर के अनुमोदन में भी समय लगा।

****